APIO

आरटीआई आवेदन

सं.आर-18(1)/-2019 आरटीआई (खण्ड- I)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

उधोग भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 5 जुलाई, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु मोहम्मद इस्लाम, वैशाली का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 28.06.2019 का आरटीआई आवेदन, जो वाणिज्य विभाग में दिनांक 02.07.2019 को प्राप्त हुआ है।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर, इस ज्ञापन के साथ मोहम्मद इस्लाम, वैशाली का सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, दिनांक 28.06.2019, का आरटीआई आवेदन, जो वाणिज्य विभाग में दिनांक 02.07.2019 को प्राप्त हुआ, को भेजने का निर्देश हुआ है।

2. यह आरटीआई आवेदन वाणिज्य विभाग के सभी सीपीआईओ, व्यापार उपचार महानिदेशालय और सभी सार्वजनिक प्राधिकरण जो वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आते है, से अनुरोध है, कि आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत, आवेदक के द्वारा मांगी गई सूचना, आरटीआई प्रकोष्ठ, वाणिज्य विभाग, को सूचित करते हुए, सीधे, आवेदक को उपलब्ध करवाई जाए ।

3. यदि मांगी गयी सूचना संपूर्ण रूप से या उसका कोई भाग किसी अन्य सीपीआईओ/लोक प्राधिकारी (प्राधिकारियों) से संबंधित है तो आवेदन को आरटीआई अधिनियम,2005 की धारा 6(3) के अनुसार सीधे संबंधित सीपीआईओ/लोक प्राधिकारी (प्राधिकारियों) को अंतरित किया जा सकता है।

संलग्न: यथोक्त

(के. वी. अजित)
उप निदेशक (पूर्ति) एवं सीपीआईओ

सेवा मे,

1. वाणिज्य विभाग के सभी सीपीआईओ के लिए । (सूची के अनुसार)
2. सीपीआईओ{श्री प्रमोद कुमार वर्मा, अवर सचिव (आरटीआई)}, व्यापार उपचार महानिदेशालय, चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, दिल्ली - 110001।
3. सभी सार्वजनिक प्राधिकरण जो वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आते है। (सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. मोहम्मद इस्लाम, ग्राम - सामाचक, पोस्ट - हरौली, जिला - वैशाली, बिहार - 844103 - को इस अनुरोध के साथ कि इस मामले में आगे की जानकारी के लिए उपर्युक्त सीपीआईओ से संपर्क करें ।

(1)

जन सूचना का अधिकार. अधि०. वर्ष 2005 के तहत प्रपत्र।

सेवा में, दिनांक 28.06.19

जन सूचना अधिकारी
कॉमर्स विभाग।

महोदय,

— निवेदन के साथ कहना है कि मुझे निम्न जानकारी दिलायी जाये, जो क्रमवार अंकित है।

1. "क" आपके मंत्रालय के अन्तर्गत जितने भी विभाग शाखा, उपक्रम, आयोग, समिति हैं उन्हें 6(3) में रेफर कर क्रमवार उत्तर दिलाया जाये तथा स्वयं भी जो उत्तर हो दि. जाये जो क्रमवार नीचे हैं।

(i) आपके मंत्रालय के वेबसाइट न० क्या है उनके प्रधान सचिव. या सचिव तथा नोडल अफसर कौन हैं उन दोनों का नाम, पद, मेल, मोबाइल, डाक का पिन न० समेत पुरा पता क्या है।

(ii) आपके मंत्रालय में जनता का कोई योजना है या नहीं है तो योजना का लिस्ट दि. जायें

(iii) आपके मंत्रालय में सचिव से लेकर कर्मी/चपरासी तक कितने लोग sc/st, obc/ सामान्य/ मुस्लिम हैं तथा कितने पद रिक्त हैं सूचित किया जाये।

2. मैं वर्गीकृत सूचना शुल्क B.P.L प्रमाण पत्र साथ में देते हैं।

नु०:→ वर्गीकृत प्रमाण पत्र। प्रति B.P.L।

अतः शीघ्र उत्तर दिलायी जायें।

आपका अर्जीदार

मो० इस्लाम
ग्राम:→ सामाचक
पो०:→ हसौली
जि०:→ वैशाली
बिहार
844103
नं. 9973201947

F.T.S.— 278486/(सं) 3/7/2019

3/7/19

- 17 -

Office of the Development Commissioner
Kandla Special Economic Zone
Ministry of Commerce & Industry
Gandhidham-Kutch-370 230
Phone (02836)-253300, 252475, 252273
Fax (02836) – 252250 & 252194
E-mail: admn.kasez-gj@gov.in
Website: www.kasez.gov.in

सत्यमेव जयते

KASEZ

फा.सं. KASEZ/ RTI/27/2019-20-208-09

दिनांक: 19.07.2019
By Speed Post

सेवा में,
मो. इस्लाम,
ग्राम-सामाचक, पोस्ट- हरोली,
जिला-वैशाली, बिहार-८४४१०३.

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सुचना उपलब्ध करवाने के सन्दर्भ में.

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर आप अपने आर.टी.आई. आवेदन दिनांक २८.०६.२०१९ का सन्दर्भ ले, जो इस कार्यालय में दिनांक ०९.०७.२०१९ को प्राप्त हुआ है।

इस सन्दर्भ में, सम्बंधित विभागों से प्राप्त वांछित सुचना के अनुसार, आपको यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा पूछी गयी सुचना निम्न है-

१) वेबसाइट का नाम –www.kasez.gov.in है एवं प्रधान सचिव या सचिव तथा नोडल ऑफिसर कोई नहीं है.
२) इस आफिस में जनता का कोई योजना नहीं है.
३) इस आफिस में कुल सामान्य-४१ (१ मुस्लिम के समेत), SC-16, ST-7, OBC-14 (2 मुस्लिम के समेत) तथा ३९ पद रिक्त है.

उपरोक्त सूचना आपको सूचना का अधिकार 2005 के सेक्शन – 7 के तहत दी जा रही है। अगर आप उपरोक्त सुचना से संतुष्ट नहीं है तो इस पत्र के प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सेक्शन 19(1) के तहत आप प्रथम अपील विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, गांधीधाम(कच्छ) -370230 के समक्ष कर सकते है।

भवदीय,

अरुण 19.7.19
(अरुण कुमार)
सी.पी.आई.ओ./उपायुक्त (सीमाशुल्क)
कांडलाविशेषआर्थिकक्षेत्र,
गांधीधाम

मी. सं. – यथोपरि

प्रतिलिपि श्री के. वी. अजीत, उप निदेशक (पूर्ति) एवं सीपीआईओ, , वाणिज्य एवं उदयोग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, नई देल्ही , आपके पत्र सं. आर -18(1)/2019 आर टी आई(खंड-III) दिनांक ०५.०७.२०१९ के आलोक में सूचनार्थ।